राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं. 2, सैक्टर-17,
पंचकूला।

Website : www.secharyana.gov.in
Email id : cao.sec@hry.nic.in

Phone No. +91 172 258 4810
Fax No. : +91 172 258 5904

क्रमांक रा0नि0आ0/2-लेखा/2015/2245-66 दिनांकः 22.09.2015

सेवा में,

सभी उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत/स्थानीय निकाय)
हरियाणा।

विषयः- पंचायत आम चुनाव-2015 के लिए मानदेय, रिफ्रैशमैन्ट, बस किराया आदि के लिए अलाट की गई राशि को खर्च करने व अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), फतेहाबाद कार्यालय के पत्र कमांक 6059/पंचायत, दिनांक 9.9.2015 द्वारा मांगे गये मार्गदर्शन बारे निम्न प्रकार से सूचित किया जाता हैः-

Points Raised	Reply
1. पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों के चुनावों के दौरान होने वाले खर्च जैसाकि मानदेय/रिफ्रैशमैन्ट, इत्यादि की अदायगी बारे 2. हरियाणा सरकार के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के इलावा एल0आई0सी0, बैंकस, डाकघर, हैफेड, मार्केट कमेटी व अन्य नगर निगम/बोर्ड आदि ऐसे कार्यालय है जो खजाना से वेतन ड्रा नही करते और उनके कोई यूनिक कोड अलाट नही है।	इसके बारे में व्यक्त किया जाता है कि आयोग के पत्र कमांक SEC/2Accounts/2014/607-627 दिनांक 2608.2014 (प्रति संलग्न) द्वारा आपको पहले से सूचित किया हुआ है कि वित्त विभाग, द्वारा समय-2 पर जारी हिदायतों की अनुपालना के दृष्टिगत पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों के चुनावों के दौरान होने वाले खर्च की अदायगी **Electronic Payment System (EPS)** द्वारा की जानी है। चुनावों में नियुक्त हरियाणा सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के Unique Code of Payee **(UCP)** प्राप्त करके चुनाव सम्पन्न होने उपरान्त मानदेय/रिफ्रैशमैन्ट की अदायगी **EPS** के माध्यम से की जाए। यदि **UCP** प्राप्त करने में असुविधा हो तो वित्त विभाग, हरियाणा के पत्र कमांक 28/14/2011-5B&C दिनांक 14.05.2012 (प्रति संलग्न) के बिन्दु (xii) के अनुसार अदायगी बारे आवश्यक कार्यावाही करें।
3. बैरीकेटिंग बारे।	**बैरीकेटिंगः-** अगर आश्यकता हो तो बल्लियां आदि किराये पर लेकर अस्थाई तौर पर बैरीकेटिंग करवाई जानी है। आयोग द्वारा जारी पीली पुस्तक में दी गई हिदायतों/आयोग द्वारा समय-2 पर जारी की गई हिदायतों अनुसार कार्यवाही करें। आयोग की **Website: www.secharyana.gov.in** पर पीली पुस्तक उपलब्ध है।
4. सैक्टर/जोनल मैजिस्ट्रेट के साथ जो चालक डयूटी पर तैनात होंगे उन्हें किस दर से कितने दिनों का मानदेय दिया जाना है, बारे मार्ग दर्शन करते हुए इनके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जावे।	इस बारे में व्यक्त किया जाता है कि सैक्टर/जोनल मैजिस्ट्रैट के साथ जो चालक डयूटी पर तैनात होंगे, उन्हें हरियाणा सरकार की हिदायतें अनुसार टी.ए./डी.ए की अदायगी की जानी है।

5. चुनाव के लिए प्राईवेट वाहन जैसे कि बस/ट्रक/जीप/कार/कैंटर आदि को प्रतिदिन किस दर से किराया अदा किया जाना है, तथा डीजल/पैट्रोल अलग से उपलब्ध करवाया जाना है या किराया में ही शामिल माना जाएगा।	इस बारे में व्यक्त किया जाता है कि आयोग के पत्र क्रमांक रा.नि.आ./1-लेखा/2015/2196-2237, दिनांक 16.9.2015 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के आम चुनाव, 2015/उप चुनाव के लिए वाहन दरों के बारे में सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत/नगरपालिका, हरियाणा को लिखा गया है कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा की गई हिदायतों के अनुसार वाहन किराये पर लेने के लिए तीन राजपत्रित अधिकारियों की कमेटी गठित करके वित्तीय नियमानुसार निर्णय अपने स्तर पर लें। यह सूचना ई-मेल/आयोग की वेबसाईट/डाक द्वारा आपको भेजी जा चुकी है। डीजल/पैट्रोल की अदायगी अलग से की जानी है जिसके लिए आपको **पी0ओ0एल0 मद** में राशि पहले ही अलाट की हुई है।
6. चुनाव मद में अलाट की गई राशि के अतिरिक्त बजट अलाट करने बारे।	चुनाव मद में अलाट की गई राशि का प्रयोग प्रथम चरण व द्वितीय चरण में किया जाये। आयोग द्वारा शेष राशि तृतीय चरण से पूर्व अलाट कर दी जायेगी।

मुख्य लेखा अधिकारी
कृतेः राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।